डीडवाना को जिला बनाने की मांग ने जोर पकड़ा

विधायक चेतन डूडी की अगुवाई में रामलुभाया कमेटी से मिला प्रतिनिधि मंडल

डीडवाना, (निसं)। राज्य बजट प्रस्तुत करने की तारीख नजदीक आने के साथ ही डीडवाना को जिला बनाए जाने की मांग जोर पकड़ने लगी है। इसके तहत बुधवार को डीडवाना विधायक चेतन डूडी की अगुवाई में डीडवाना का एक प्रतिनिधिमंडल नए जिलों के लिए गठित कमेटी के अध्यक्ष रिटायर्ड आईएएस रामलुभाया से मिला और ज्ञापन एवं तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत कर डीडवाना को जिला बनाने की मांग रखी।

इस मौके पर विधायक चेतन डूडी ने कहा कि डीडवाना तत्कालीन राज्य का परगना रहा है। आजादी से पूर्व भी डीडवाना में जिला कलेक्टर के समक्ष सुपरिटेंडेंट का पद था। इसके अलावा 1996 से ही डीडवाना अतिरिक्त जिला मुख्यालय रहा है। डीडवाना में जिला स्तरीय सभी कार्यालय मौजूद है ओर अब केवल जिला कलेक्टर व एसपी के पदों की ही जरूरत है। उन्होंने बताया कि डीडवाना की को जिला बनाने की मांग 4 दशक पुरानी है। तत्कालीन परमेश्वरचंद, सिंधु कमेटी के अलावा राजस्व मंडल व तत्कालीन नागौर जिला कलेक्टर भी डीडवाना को जिला बनाने की अनुशंसा कर चुके हैं।

विधायक चेतन डूडी के नेतृत्व में प्रतिनिधिमण्डल ने रिटायर्ड आई.ए.एस. रामलुभाया से मुलाकात की।

- ज्ञापन व तथ्यात्मक रिपोर्ट सौंपकर की डीडवाना को जिला बनाने की मांग
- 'वर्तमान में जिला बनाने की दौड़ में सबसे योग्य डीडवाना'

डूडी ने कहा कि डीडवाना का प्रशासनिक ढांचा बेहद मजबूत है और सड़क व रेल मार्गो से भी डीडवाना के लिए आवागमन की सुविधा उपलब्ध है। डीडवाना की भौगोलिक स्थिति, जनसंख्या, संसाधन व उपलब्ध कार्यालय जिला बनाने के उपयुक्त है। इसलिए लोगों की मांग और भावनाओं को ध्यान में रखते हुए डीडवाना को जिला बनाया जाना चाहिए। इस मौके पर कमेटी के अध्यक्ष रामलुभाया ने सकारात्मक कार्यवाही का आश्वासन दिया।

दिव्या मित्तल रिश्वत मामला: वॉइस सैंपल प्रार्थना पत्र पर कोर्ट में हुई बहस

किसी नतीजे पर नहीं पहुंची कोर्ट, मामले में अगली सुनवाई 10 फरवरी निर्धारित की

अजमेर, (कासं)। दो करोड़ की रिश्वत मामले में गिरफ्तार एसओजी की एडिशनल एसपी दिव्या मित्तल की बुधवार को कोर्ट में सुनवाई हुई। एडिशनल जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में एसीबी द्वारा मित्तल के वॉइस सैंपल लेने के लिए लगाए गए प्रार्थना पत्र पर बहस हुई। एक घंटे चली बहस के बाद कोर्ट किसी नतीजे पर नहीं पहुंची। कोर्ट ने मामले में अगली सुनवाई 10 फरवरी निर्धारित की। मालूम हो कि दिव्या मित्तल 17 फरवरी तक जेल में बंद है।

दो करोड़ों रुपए कथित तौर पर रिश्वत मांगने की एसओजी की निलंबित एडिशनल एसपी दिव्या मित्तल के मामले में बुधवार को अदालत में वॉइस सैंपल लेने के लिए एसीबी के लगाए गए प्रार्थना पत्र पर बहस हुई, जिसमें एसीबी की ओर से एसीबी अधिकारी मांगीलाल कोर्ट में पेश हुए। दिव्या मित्तल की ओर उनके वकील प्रीतम सिंह सोनी कोर्ट में उपस्थित थे। प्रार्थना पत्र पर चली एक घंटे की बहस के बाद भी कोर्ट किसी नतीजे पर नहीं पहुंची। एसीबी का कहना है कि दिव्या मित्तल की दवा निर्माता और दलाल सुमित के बीच जो बातचीत हुई है उसकी रिकार्डिंग उनके पास है। उसकी मिलान करने के लिए दिव्या मित्तल का वायस सेंपल लेना जरूरी है। जिससे कि बातचीत को कोर्ट में सबूत के तौर पर पेश किया जा एके। जिस पर आपत्ति दाखिल करते हुए दिव्या के वकील ने तीन सवाल किए है।

दिव्या मित्तल की फाइल फोटो।

उनका सवाल है कि हाई कोर्ट की ऐसी कोई गाईडलाईन है जिसके तहत आरोपी का वायस सेंपल लिया जा सके। दूसरा यह कि इस कोर्ट के पास इस मामले को सुनने का अधिकार ही नहीं है। इस मामले की सुनवाई विशेष अदालत में ही हो सकती है। सोनी ने उस सीडी की कापी भी मांगी है जिसमें आरोपी दिव्या मित्तल की आवाज रिकार्ड होने का दावा किया जार रहा है। एडवोकेट सोनी ने कोर्ट में फिर से सैंपल की अर्जी को खारिज करने की दलील दी। बुधवार की सुनवाई में कोर्ट किसी भी मुद्दे पर किसी मुकाम पर नहीं पहुंची, जिस पर अदालत ने मामले की अगली सुनवाई की तारीख 10 फरवरी तय की है।

बैंक लूट कर भागे बदमाशों की पुलिस से मुठभेड़

तीन बदमाशों के गोली लगी, जिला अस्पताल धौलपुर में भर्ती कराया

धौलपुर, (निसं)। धौलपुर जिले के दिहोली थाना इलाके के मरेना कस्बे में बुधवार दोपहर को 6 बदमाशों ने फायरिंग कर पीएनबी बैंक से 4 लाख रुपए लूट लिए। जिसके बाद भागते समय इन बदमाशों की पुलिस के साथ मुठभेड़ हो गई। जिसमें 3 बदमाशों के गोली लग गई। जिन्हें पुलिस ने पकड़ लिया और इलाज के लिए जिला अस्पताल धौलपुर में भर्ती कराया। वहीं पुलिस 3 भागे हुए बदमाशों की तलाश में जुटी हुई है।

जानकारी के अनुसार पंजाब नेशनल बैंक मरेना में बुधवार को रेस्ट के बाद बाइक से 6 बदमाश आए। इन बदमाशों ने बैंक में घुसते ही हवाई फायरिंग की और मैनेजर पर कट्टा तान दिया। इसके बाद 4 लाख रुपए लूटकर उत्तर प्रदेश की तरफ भागने लगे। लूट की जानकारी मिलने के बाद मनियां सीओ दीपक खंडेलवाल के नेतृत्व में पुलिस ने बदमाशों की घेराबंदी की। इस दौरान बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जिस पर पुलिस ने जवाबी फायरिंग की। जिसमें 3 बदमाशों को गोली लग गई। जिनको जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

- बदमाश फायरिंग कर पी.एन. बैंक से 4 लाख रुपए लूटकर भाग रहे थे

धौलपुर एसपी धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि बदमाश दोपहर करीब 3 बजे 2 बाइक पर आए। इनमें से 3 बदमाश बैंक के अंदर घुसे। एक बदमाश ने हवाई फायर किया और मैनेजर को बंधक बनाकर 4 लाख लूट लिए। बैंक में डकैती डालकर भाग रहे बदमाशों की जानकारी मिलने के बाद दीपक खंडेलवाल के नेतृत्व में मनियां थाना प्रभारी लाखन सिंह और दिहौली थाना प्रभारी बीधाराम राम की टीम ने 3 बदमाशों का पीछा किया और मुठभेड़ के बाद तीनों को पकड़ लिया गया। एसपी ने बताया कि मुठभेड़ के दौरान पकड़े गए तीनों बदमाश बसेड़ी थाना क्षेत्र के पूंठपुरा गांव के रहने वाले हैं।

गोली लगने से घायल हुए बदमाश सौरभ, विवेक और अंकित को राधे का पूरा गांव के पास से मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने पकड़ लिया है। उन्होंने बताया कि डकैती डालने के बाद बदमाशों ने रास्ते में एक राहगीर की बाइक भी छीन ली और उत्तर प्रदेश की ओर भागने लगे। पीछा कर रही पुलिस ने उत्तर प्रदेश पुलिस को घटना की जानकारी दे दी। उत्तर प्रदेश पुलिस और राजस्थान पुलिस की घेराबंदी देखकर बदमाश वापस राधे का पुरा गांव में घुस गए। जहां बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी फायरिंग में बदमाशों के पैर में पुलिस की गोली लग गई।

भीलवाड़ा जेल का निरीक्षण किया

भीलवाड़ा, (निसं)। ज़िले की अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ज्येष्ठा मैत्रेयी के नेतृत्व में प्रशासनिक टीम के साथ आज जिला कारागृह में सघन चैकिंग की गई, लेकिन कोई आपत्तिजनक वस्तु नहीं मिली। इसके चलते जेल प्रशासन ने राहत की सांस ली। एएसपी मैत्रेयी ने बताया कि राजस्थान सरकार की ओर से अपराधियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई एवं जेल में सक्रिय आपराधिक तत्वों के खिलाफ सघन चैकिंग आदेशानुसार पुलिस महानिदेशक व महानिदेशक जेल के जिला कारागृह के आकस्मिक चैकिंग के बाद बुधवार को यहां एडीएम सिटी व एएसपी मुख्यालय के निर्देशन में टीम ने दोपहर जिला जेल में प्रवेश किया।

इनके साथ टीम में डीएसपी सिटी, कोतवाल, पुलिस के 35 जवान, जेल के 12 प्रहरी के साथ ही जेल अधीक्षक सिंह, दो जेलर भी थे। टीम ने जेल के सभी 263 बंदियों की बारिकी से तलाशी ली। इनके कपड़ों व सामान के साथ ही सभी 6 बैरिक, खुला परिसर का चप्पा-चप्पा छान मारा, लेकिन कोई आपत्तिजनक वस्तु नहीं मिली। उधर जेल में कोई आपत्तिजनक वस्तु नहीं मिलने से जेल प्रशासन ने राहत की सांस ली।

फायरिंग करने के आरोपियों को कोर्ट में किया पेश

राजू ठेहठ की हत्या करने के बाद हरडिया में फायरिंग की थी

खेतडी, (निसं)। सीकर में राजू ठेहट की हत्या करने के बाद हरडिया में फायरिंग की वारदात को अंजाम देने के दो आरोपियों को पुलिस ने बुधवार को कडी सुरक्षा में कोर्ट में पेश किया है। आरोपियों को खेतडी पुलिस ने फायरिंग के मामले में प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया था, जिन्हें घटनास्थल की तस्दीक करवाने के बाद कोर्ट में ले जाया गया।

सीआई विनोद सांखला ने बताया कि 3 दिसंबर को सीकर में गैंगस्टर राजू ठेहठ की कुछ युवकों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। हत्या की वारदात होने के बाद सीकर व झुंझुनूं की पुलिस ने आरोपियों को पकडने के लिए दोनों जिलों में हथियारबंद जवानों की नाकाबंदी करवाई गई थी। इस दौरान पुलिस को सूचना मिली थी कि वारदात के आरोपी खेतडी थाना क्षेत्र में आए हुए हैं, जिस पर पुलिस ने सीकर सीमा से सटे खेतडी थाना इलाके में ए श्रेणी की नाकाबंदी कर रखी थी। इसी दौरान क्रेटा गाडी में सवार होकर आए युवकों ने बबाई चेक पोस्ट के पास नाकाबंदी तोडकर पुलिस को देखकर भागने का प्रयास किया। पुलिस ने जब आरोपियों का पीछा किया तो उन्होंने हरडिया में सडक निर्माण कार्य कर रही लेबर को हटाने के लिए फायरिंग की वारदात को अंजाम दिया था। आरोपी हवाई फायर करने के बाद मौके से फरार हो गए थे। जिसको पुलिस ने दूसरे दिन खनन क्षेत्र से गिरफ्तार किया था।

पुलिस ने आरोपियों को कड़ी सुरक्षा के बीच कोर्ट में पेश किया।

सीआई ने बताया कि आरोपी जिला चरखी दादरी निवासी जतिन उर्फ जॉनी पुत्र रतन सिंह, सतीश पुत्र महिपाल को प्रोडक्शन वारंट पर लाया गया है। इस दौरान दोनों आरोपियों से 3 दिसंबर को की गई वारदात की मौका स्थल पर ले जाकर तस्दीक करवाई गई है। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों से गहनता से पूछताछ की जा रही है तथा और भी वारदातों की जानकारी जुटाई जा रही है। राजू ठेहठ की हत्या में शामिल दोनों आरोपियों को खेतडी लाया गया तो पुलिस थाने को छावनी में तब्दील कर दिया गया। पुलिस की ओर से हथियार बंद जवान थाने की सुरक्षा में लगाए गए। इस दौरान खेतडी, खेतडीनगर, मेहाडा, आरएसी, क्यूआरटी कमांडो हथियारबंद जवानों की तैनाती की गई तथा कडी सुरक्षा के बीच आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया है।

हैड कांस्टेबल निलंबित, तीन पुलिस कर्मियों को थाने से हटाया

जोधपुर, (कासं)। बनाड़ स्थित सारण नगर चुंगीनाका के पास में अधिवक्ता से हुई मारपीट के प्रकरण में अधिवक्ताओं के आंदोलन के साथ ही आज बनाड़ थाने के हैडकांस्टेबल लक्ष्मणसिंह को निलंबित करने के आदेश जारी हुए है। वहीं तीन पुलिस कर्मियों को थाने से हटाया गया है। जोधपुर के वकील दो दिन से लगातार इस बारे में आंदोलनरत रहने के साथ न्यायिक कार्यों का बहिष्कार पर उतर आए थे।

जानकारी के अनुसार आज राजस्थान हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसियेशन के अध्यक्ष एवं राजस्थान हाईकोर्ट लायर्स एसोसियेशन के अध्यक्ष रवि भंसाली ने बयान जारी कर पुलिस कर्मियों पर हुई कार्रवाई को लेकर संतोष जताते हुए न्यायिक कार्य बहिष्कार का आंदोलन वापिस लेने की घोषणा की। अधिवक्ता गुरूवार से काम पर लौटेंगे। इससे पहले आज सुबह अधिवक्ताओं ने पुराना हाईकोर्ट परिसर पर धरने के साथ प्रदर्शन किया था। दोनों एसोसियेशनों की तरफ से पुलिस के आलाधिकारियों से दो दिन से बातचीत के साथ ज्ञापन तक दिया गया था। पुलिस अधिकारियों ने आज हैडकांस्टेबल के निलंबन के आदेश जारी किए वहीं तीन पुलिस कर्मियों को बनाड़ थाने से हटाया गया है।

- सारण नगर चुंगीनाका के पास में अधिवक्ता से हुई मारपीट का मामला
- अधिवक्ताओं का न्यायिक कार्य बहिष्कार वापस लिया गया

राजस्थान हाईकोर्ट एडवोकेट्स एसोसिएशन जोधपुर के अध्यक्ष रणजीत जोशी व राजस्थान हाईकोर्ट लॉयर्स एसोसिएशन जोधपुर के अध्यक्ष रवि भंसाली ने संयुक्त रूप से सूचना जारी करते हुए अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार की घोषणा की थी। कोर्ट परिसर में अधिवक्ता इस घटना को लेकर एकत्र होना शुरू हो गए थे। एसोसिएशन के पदाधिकारियों का कहना है कि अधिवक्ता जोगेंद्र के साथ मारपीट के मामले में पुलिस कमिश्नर को प्रतिवेदन देकर दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्यवाही की मांग की गई लेकिन पुलिस ने खुद के बचाव में अधिवक्ता के खिलाफ भी केस दर्ज कर लिया। अब दोषी पुलिसकर्मियों को गिरफ्तार कर निलम्बित करने की मांग की गई थी।

एसोसिएशन के अध्यक्ष ने अधिवक्ता जोगेंद्र के साथ हुई मारपीट के मामले में मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष जस्टिस जीके व्यास को शिकायत की थी। आयोग को शिकायत प्राप्त होने के बाद अध्यक्ष जस्टिस जीके व्यास ने पुलिस कमिश्नर रविदत्त गौड़ को फैक्स व ईमेल के माध्यम से 22 फरवरी तक स्पष्ट कार्रवाई कर रिपोर्ट मांगी है।

सूने मकान से नकदी व जेवरात चोरी

उदयपुर, (कासं)। सूने मकान का ताला तोड़ कर नकदी व जेवरात चोरी करने वाले के खिलाफ पुलिस ने प्रकरण दर्ज किया।

पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार पीडित खेमपुरा सोलकी रेस्टोरेंट बेडवास रोड़ प्रतापनगर निवासी माधवसिंह पुत्र रामसिंह ने प्रतापनगर पुलिस थाने मे प्रकरण दर्ज करवाया कि 4 फरवरी को मकान पर ताला लगा कर शादी समारोह में शामिल होने के लिए बाहर गया था। वापस लौटा तो ताला टूटा हुआ एवं कमरों मे सामान बिखरा पड़ा था। इस पर तलाशी ली तो सोने के कान के एयरिग, कान के टॉप्स, 2 अंगुठी, चैन, सोने व चादी के पायल तथा चांदी की कटोरी तथा पाच हजार रूपये नकदी गायब थी इस मामले में पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू की।

पूर्व छात्र की मौत से गुस्साएं छात्रों ने धरना दिया

उदयपुर, (कासं)। भूपाल नोबल्स यूनिवर्सिटी में पूर्व छात्र की मौत पर गुस्साए छात्रों ने बुधवार को यूनिवर्सिटी गेट पर ताला जड़ दिया और छात्र गेट पर ही धरने पर बैठ गए। किसी को अंदर नहीं जाने दिया गया। छात्रों ने यूनिवर्सिटी प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्राप्त जानकारी के अनुसार मृतक 21 वर्षीय चंद्रवीर सिंह राजावत सवाई माधोपुर का रहने वाला था।

बीएन यूनिवर्सिटी का पूर्व छात्र चंद्रवीर आर्मी की फिजिकल परीक्षा पास कर चूका था तथा फिटनेस के लिए बीएन ग्राउंड पर दौड़ का अभ्यास कर रहा था। मंगलवार को मैदान पर दौड़ के दौरान हार्ट अटक आने से उसकी तबियत बिगड़ गई। इसके बाद अन्य छात्रों ने तुरंत यूनिवर्सिटी में खड़ी एंबुलेंस को बुलाने के लिए कॉल किया, लेकिन एंबुलेंस ने आने में देरी कर दी। ऐसे में वहां मौजूद कुछ छात्र तुरंत चंद्रवीर को बेहोशी की हालत में अस्पताल लेकर रवाना हो गए, लेकिन वहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। छात्रों ने बताया. उन्हें डॉक्टर ने कहा कि अगर थोड़ा देर पहले लेकर आ जाते तो उसकी जान बचाई जा सकती थी। ऐसे में छात्रों का कहना है कि यूनिवर्सिटी ने छात्रों की मेडिकल सुविधा के लिए जो एंबुलेंस रखी हुई है,वह उनके कोई काम नहीं आई। अगर एंबुलेंस समय पर आती तो चन्द्रवीर की जान बच सकती थी।

- छात्रों ने बी.एन. यूनिवर्सिटी गेट पर जड़ा ताला

ब्लैकमेल करने का मामला दर्ज

उदयपुर, (कासं)। मोबाईल पर अश्लील वीडियो तैयार कर पीडित को ब्लैकमेल कर नकदी वसूलने वाले के खिलाफ पुलिस ने प्रकरण दर्ज किया। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार पीडित जनकपुरी प्रतापनगर निवासी भगवतीलाल पुत्र तुलसीराम सुथार ने प्रतापनगर पुलिस थाने में प्रकरण दर्ज करवाया कि एक फरवरी रात में मेरे मोबाईल पर कॉल आया। उक्त कॉल उठाने पर बातचीत करने के दौरान नग्न हालत में बातचीत कर रही महिला ने मेरी अश्लील वीडियो तैयार कर ली तथा धमकाने पर उसके कहे अनुसार पांच हजार रूपये आरोपी के खाते में जमा करवाए तथा उसके कहने पर मैने अपने कपडे उतार लिए। कुछ समय बाद उक्त वीडियों वायरल करने की धमकी देकर रूपयोंकी मांग करना शुरू कर दिया। पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू की।

500 साल पुराने किले में होगी स्मृति इरानी की बेटी की शादी

जोधपुर, (कासं)। जोधपुर से 90 किलोमीटर दूर नागौर जिले के खींवसर फोर्ट में आज से केंद्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी की बेटी शनेल और अर्जुन भल्ला की हल्दी और मेहंदी की रस्म पूरी हुई। शादी के लिए स्मृति ईरानी आज सुबह 8 बजे जोधपुर एयरपोर्ट पहुंची। यहां से वे पूर्व कैबिनेट मंत्री गजेंद्र सिंह के साथ सड़क मार्ग से खींवसर पहुंचीं। जुबिन ईरानी एक दिन पहले ही यहां पहुंचे थे। जिस फोर्ट में शनेल और अर्जुन की शादी होगी, वह करीब 500 साल पुराना है। ये फोर्ट कई बॉलीवुड स्टार की पहली पसंद भी है। यहां कई बॉलीवुड मूवी की शूटिंग हो चुकी है। इस फोर्ट की सबसे खूबसूरत बात इसी के पास बने रेतीले धोरे हैं। रेतीले टीलों पर आज म्यूजिकल नाइट होगी। शनेल स्मृति के पति जुबिन ईरानी की पहली पत्नी मोना की बेटी हैं।

बेटी की शादी के लिए केन्द्रीय कपड़ा मंत्री स्मृती ईरानी जोधपुर पहुंची।

जानकारी के अनुसार केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी इंडिगो की फ्लाइट से जोधपुर पहुंचीं। यहां एयरपोर्ट पर पूर्व कैबिनेट मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने उनकी अगवानी की। बुधवार को फोर्ट के लॉन एरिया को रंग-बिरंगी छतरियों से सजाया गया। इसके साथ ही एंट्री पर पतंगों की झालर लगाई गई है। ढोल-नगाड़ों के साथ परिवार की महिलाओं ने मेहंदी की रस्म पूरी की। वहीं बारात के लिए फोर्ट में मौजूद स्पेशल विंटेज कारों और जिप्सी को सजाया गया है।

नाइजीरियन तस्कर सहित तीन गिरफ्तार

श्रीगंगानगर, (निसं)। नशे की सप्लाई करने के आरोप में पुलिस ने एक नाइजीरियन समेत श्रीगंगानगर के दो युवकों को गिरफ्तार किया है। नशीले पदार्थ के साथ पकड़े गए आरोपी की निशानदेही पर तस्करों को पकड़ा गया है। मीरा चौक चौकी पुलिस के एसआई रामविलास ने चार फरवरी को श्रीगंगानगर के एफ ब्लॉक के रहने वाले युवक साहिल चड्ढा पुत्र सुरेंद्र कुमार को 10 ग्राम नशीले पदार्थ के साथ पकड़ा था।

पूछताछ में नशे की सप्लाई करने वालों के बारे में जानकारी ली। जिसमें श्रीगंगानगर निवासी एक युवक और एक नाइजीरियन नागरिक का नाम सामने आया। जांच कर श्रीगंगानगर के हरदीप सिंह कॉलोनी निवासी मन्नू सैनी पुत्र दुर्गा सिंह और एक नाइजीरियन नागरिक ओनोयिमा जुलियन सिनेडू को गिरफ्तार किया। नाइजीरियन नागरिक अभी नई दिल्ली के मंडावली थाना क्षेत्र के लक्ष्मीनगर में रह रहा था। पुलिस उससे पूछताछ कर रही है।

बीमा कम्पनी पर एक लाख रुपए हर्जाना लगाया

राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग का फैसला

जोधपुर, (कासं)। राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने अपने फैसले में यह महत्वपूर्ण व्यवस्था दी है कि यह विश्वास योग्य नहीं है कि कोरोना काल में एम्स जैसे विख्यात अस्पताल में बीमाधारक अपनी सुविधानुसार पांच दिन बिना जरूरत बीमा राशि लेने के वास्ते कोरोना ग्राषित होकर जानबूझ कर भर्ती रहा हो। राज्य आयोग के अध्यक्ष न्यायाधीश देवेंद्र कछावह, न्यायिक सदस्य निर्मल सिंह मेडतवाल और सदस्य संजय टाक ने जिला आयोग के आदेश को अपास्त करते हुए दो अपीलें मंजूर कर बीमा कम्पनी पर एक लाख रुपए का हर्जाना लगाते हुए परिवादी पिता पुत्र को पांच लाख रुपए दावा राशि मय 9 फीसदी ब्याज 45 दिवस में अदा करने का आदेश दिया।

सूरज नारायण मंगल और कार्तिक मंगल ने अधिवक्ता अनिल भंडारी के माध्यम से अपील दायर कर कहा कि उन्होंने वर्ष 2020 में ढाई ढाई लाख रुपए की कोरोना रक्षक बीमा पॉलिसी करवाई थी, जिसमें यह प्रावधान किया गया था कि कोरोना ग्रसित होने पर बीमाधारी 72 घंटे से अधिक अस्पताल में भर्ती रहता है तो दावा किए जाने पर पूर्ण बीमा राशि प्राप्त होगी। पिता पुत्र दोनों को कोरोना होने पर नवंबर 2020 में एम्स अस्पताल में पांच दिन भर्ती रखा गया। लेकिन बीमा कम्पनी ने यह कहकर दावा खारिज कर दिया कि उन्हें अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत नहीं थी। जिला आयोग जोधपुर प्रथम ने यह कहकर दोनों परिवाद खारिज कर दिए कि परिवादी के घर में सुविधा नहीं होने से अस्पताल को सुरक्षित मानकर कोविड सेंटर में भर्ती हो गए।

अपीलार्थी की ओर से बहस करते हुए अधिवक्ता भंडारी ने कहा कि कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के दौरान यह असम्भव है कि एम्स जैसे विख्यात अस्पताल में भर्ती की मारामारी के दौरान बिना जरूरत के ही अपीलार्थी को पांच दिन के वास्ते भर्ती कर दिया जाए। उन्होंने कहा कि बीमा कम्पनी यह साबित करने में अक्षम रही कि अपीलार्थी को अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता नहीं थी सो जिला आयोग का फैसला खारिज किया जाए। बीमा कम्पनी की ओर से कहा गया कि पिता पुत्र अपनी इच्छा से एम्स के कोविड सेंटर में भर्ती हुए थे सो अपील खारिज की जाए।

- पांच लाख रुपए मय 9 फीसदी ब्याज पीड़ित को अदा करने का आदेश

राज्य आयोग ने दोनों अपील मंजूर करते हुए बीमा कम्पनी पर एक लाख रुपए हर्जाना लगाते हुए कहा कि तत्सम्य कोविड का इतना व्यापक असर था कि रोगियों को न केवल अस्पताल, बल्कि स्कूलों, होटलों और यहां तक ट्रेन की बोगियों में भी कोविड सेंटर बनाकर रखा गया था तो यह माने जाने योग्य नहीं है कि सामान्य व्यक्ति को एम्स जैसे अस्पताल में सिर्फ सुविधा की खातिर पांच दिन भर्ती रखा जा सके। उन्होंने बीमा कम्पनी के इस आक्षेप को भी रद्द कर दिया कि अपीलार्थी एम्स अस्पताल में भर्ती नहीं होकर कोविड सेंटर में भर्ती हुए थे। उन्होंने जिला आयोग के आदेश को निरस्त कर बीमा कम्पनी को निर्देश दिए कि दोनों अपीलार्थी को कुल पांच लाख रुपए मय 9 फीसदी ब्याज 45 दिन में अदा करें।